

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 271/2024
अनवान : –

1. पालाराम पुत्र महावीर जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
हाल निवासी नाथुसरी चौपटा तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा।

– वादी

बनाम्

1. महावीर पुत्र लालचन्द जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. दलीप पुत्र महहीवर जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर हाल निवासी नाथुसरी
चौपटा तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा
3. कृष्ण पुत्र महावीर जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर
4. रामस्वरूप पुत्र महावीर जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर हाल निवासी
नाथुसरी चौपटा तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा
5. बानाराम पुत्र महावीर जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर हाल निवासी
नाथुसरी चौपटा तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा
6. शिमला पुत्री महावीर पत्नि कृष्ण जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर हाल
निवासी पालड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
7. शारदा पुत्री महावीर पत्नि पोलुराम जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर हाल
निवासी बांसड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
9. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955


उपस्थिति :- श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज


निर्णय

दिनांक: 28/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत
धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही
मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 143/148 के ख0न0 206 की 11.7610 हैक्ट भूमि में
से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1
के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के
कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि
पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी स0 1 के साथ
जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व
प्रतिवादीगण उक्त वाद भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से
घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक  का भूमि को
उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे
किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण उक्त वाद भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 143/148 के ख0न0 206 की 11.7610 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण उक्त वाद भूमि के बहिब के खातेदार काश्तकार है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।


अधीक्षक अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 143/148 के ख0न0 206 की 11.7610 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ...28/01/26... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 271/2024
अनवान : –

1. पालाराम पुत्र महावीर जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
हाल निवासी नाथुसरी चौपटा तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा।

– वादी

बनाम्


1. महावीर पुत्र लालचन्द जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. दलीप पुत्र महहीवर जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर हाल निवासी नाथुसरी
चौपटा तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा
3. कृष्ण पुत्र महावीर जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर
4. रामस्वरूप पुत्र महावीर जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर हाल निवासी
नाथुसरी चौपटा तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा
5. बनाराम पुत्र महावीर जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर हाल निवासी
नाथुसरी चौपटा तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा हरियाणा
6. शिमला पुत्री महावीर पत्नि कृष्ण जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर हाल
निवासी पालड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
7. शारदा पुत्री महावीर पत्नि पोलुराम जाति धानक निवासी दुर्जाना तहसील नोहर हाल
निवासी बांसड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
9. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 271 सन 2024 निर्णय दिनांक 28/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष
वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम
निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर
साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती
है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 143/148 के ख0न0 206 की 11.7610
हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, मैं प्रतिवादी
स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित
किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम
न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर
रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से
जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर